

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

गिसल नम्बर :- 126 / 2024

प्रार्थना पत्र :- रास्ता कायमी अन्तर्गत धारा 251 (क) भागरी एक्ट 1955

मुन्नी देवी पत्नी सहजराज जाति जात निवासी मकान नं. 10, खेतड़ी जिला झुझुनु (राज0)

बनाम

सिवायचक पुनर्वास विभाग जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला नीमकाथाना राज0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीन में जारी हुए
18.11.2024	<p>आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) और टी.एक्ट 1955 के तहत प्रार्थीया की ओर से उनके अभिभाषक श्री प्रताप सिंह तंवर एडवोकेट ने पेश किया। प्रकरण सरकार के विरुद्ध होने से अधिवक्ता प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र के एडमिट स्तर पर ही बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस पर मनन किया गया।</p> <p>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) का व उक्त धारा को लागू करने के लिये बनाये गये नियमों का तथा राजस्व (मुप-6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र दिनांक 14.06.2013 का अवलोकन करने पर पाया कि :- यदि खातेदार आपस में सहमत नहीं है तो वह खातेदार जिसको जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना है या पुराने रास्ते को चौड़ा करना है तो उसका समाधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) में दिया गया है। लेकिन उक्त प्रावधान केवल खातेदारी भूमि पर से रास्ते के संबंध में ही है। लेकिन ऐसे प्रकरण जिसमें खातेदार को अपनी जोत तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। खातेदार राजकीय भूमि में से होकर अपनी जोत तक पहुंच सकता है। खातेदार द्वारा अपनी जोत तक आने-जाने के लिये रास्ता चाहा जा रहा है। उक्त समस्या के समाधान के लिये परिपत्र दिनांक 14.06.2013 के प्रावधान लागू होंगे।</p> <p>प्रार्थीया के द्वारा जिस खसरा नम्बर में से रास्ता चाहा गया है, वह राजकीय भूमि है। राजकीय भूमि पर धारा 251(क) प्रावधान लागू नहीं होते है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रार्थीया हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) के जरिये राजकीय भूमि से रास्ता प्राप्त करने की अधिकारी नहीं पाई जाती है। वृत्त राजकीय भूमि पर धारा 251 (क) के प्रावधान लागू नहीं होते है। लिहाजा</p>	

  
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

—: आदेश :—

अतः प्रार्थीया का हस्तगत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। मिसल दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(बन्शी धर योगी)

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी

**उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी**